

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. सत्यवीर यादव,  
आर.ए.एस.  
अपील संख्या :- 67/2019

- 1 नवीन कुमार
- 2 सुशील कुमार

समस्त वयस्क जाति महाजन निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्त/प्राथी

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 18/9/2019 उप तहसीलदार उप तहसील मनोहरपुर (शाहपुरा) अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.7.2020

अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर उप तहसील मनोहरपुर द्वारा ग्राम मनोहरपुर के आ ख.नं. 973/0.07 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.0050 है० भूमि पर अपीलान्त/गै.राजस्व के अतिक्रमण मानते हुए वेदखली के आदेश 18/9/2019 को निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय के विरुद्ध जरिये वकील अपील अपीलान्त द्वारा समक्ष इस न्यायालय पेश की है, जिसके विन्दुकार सत्य निम्नभाति पेश किये हैं।

- 1 यह है कि पटवारी हल्का मनोहरपुर की गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 18/9/2019 को निर्णय पारित किया है। खन 973 को गै.मु. रास्ता की भूमि रिपोर्ट में गलत गै.मु. रास्ता दर्ज होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया है जबकि उक्त भूमि कभी भी गै.मु. रास्ता की भूमि नहीं रही है। मौके पर उक्त भूमि के अलावा, उक्त भूमि के पास में 40 फिट चौड़ा रास्ता तथा लम्बाई भूमि की नाप के अनुसार रास्ता है किन्तु उक्त तथ्यों को अनदेखी करते हुए पटवारी हल्का द्वारा राजनैतिक व्यक्तियों के प्रभाव में आकर गलत रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर बिना नाप जोख किये उप तहसीलदार द्वारा गलत निर्णय पारित किया है।
- 2 यह है कि अपीलाधीन भूमि ग्राम पंचायत में निहित राजकीय भूमि है, जिसके विरुद्ध उक्त निर्णय पारित किया है जबकि अपीलार्थीगण ने उक्त भूमि पर आवासीय भू-खण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र कुल 61.11 वर्गगज इसके मूल स्वामी से खरीद कर उक्त विक्रय पत्र उपपञ्जिक कार्यालय आमेर द्वारा दिनांक 22/3/2011 को पंजिबद्ध कराया गया। उक्त आवासीय भूमि खरीद करने के पश्चात् अपीलान्त/प्राथीगण द्वारा ग्राम पंचायत मनोहरपुर से स्वीकृती ली, निर्माण स्वीकृती के बाद उक्त भू-खण्ड में मकान व दुकान का निर्माण कराया व ग्राम पंचायत मनोहरपुर से विजली व नल कनेक्शन की NOC नियमानुसार शुल्क जमा कराकर नल व विजली का कनेक्शन प्राप्त किया, जिस पर अपीलान्त काबिज रहकर व्यापार व्यवसाय करते आ रहे हैं। उक्त तथ्यों का ध्यान ना देकर उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा उक्त आदेश गलत पारित किये गये है जबकि उक्त तथ्याकथित खनं 973 की भूमि 60 वर्षों से भी अधिक समय से अपीलाधीन कृषि समूह से उनसे पहले विक्रेता के कब्जे की भूमि रही है। साथ सबूत पेश करने का दिना मौका दिये ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय मौके से वेदखल करने के आदेश पारित किये है जो गलत एवं विधि के विपरीत है।
- 3 यह है कि उक्त वर्णित भूमि पट्टाशुदा भूमि पंचायत की आवासीय भूमि रही है, जिसको किस्म भू-प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से गै.मु. रास्ता दर्ज कर दी जो हमेशा से आवासीय भूमि रही है जो 60 वर्ष से अधिक समय से आवास निवास व्यवसाय के काम में रही है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 973 अपीलार्थीगण की कब्जे की भूमि रही है। उक्त वर्णित भूमि की सीमाओं का ज्ञान कराये बिना अपीलार्थीगण की भूमि को भी उक्त भूमि में शामिल करते हुए गलत रिपोर्ट पेश की है।

ति. जिला कलक्टर  
कोटपूतली (जयपुर)

क्रिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार ने गलत आदेश पारित किये है जो अपारस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपील की दिनांक 16/9/2019 को प्राप्त किया ही दिनांक 18/9/2019 को ही उक्त निर्णय पारित कर दिया तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट की तारीख में कोई बयान लेख वह नहीं किये ना ही अपीलार्थी के अधिवक्ता को प्रतिपरीक्षा अवसर दिये गया इस कारण उक्त निर्णय विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर पारित किया है तथा न्यायालय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है।

4. यह है कि अपीलार्थीगण की अपीलार्थीन भूमि पर बनी दुकानों में मानव की जीवन रक्षक दवाईया विद्युत कर मानव जीवन को जीवन में अति सहयोग प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य के जांच के उपकरण स्थापित है। उक्त दुकान अस्पताल के नजदीकतम टीक सामने की दुकान में खून जांच एक्सरे इत्यादि की लेबोरेट्री है, जिसमें अस्पताल की सलाह पर मरीज की आपतकाल की अवस्था में जांच परिक्षण किया जाता है, दवाईयां दी जाती है। अस्पताल के नजदीक अन्यत्र जांच केंद्र सुविधा उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी की दुकान व्यवस्था ध्वस्त कर दिया गया तो मानव जीवन व अपीलार्थी की अति हानी होगी जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान ना देकर गम्भीर भूल की है जबकि अपीलार्थी की दुकान के सामने 40 फिट का चौड़ा रास्ता है। अन्यत्र कहीं 12 फिट की चौड़ाई में है। इस कारण अपीलार्थीन निर्णय 18/9/2019 अपारस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाची का श्रवणाधिकार श्रीमान को अधिकार प्राप्त है, जिसके विरुद्ध अपील पेश की गयी है जो अन्य विवाद पेश है।

अतः अपील मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जायक अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा पारित आदेश 18/9/2019 को खारिज फरमावे।

5. अपीलान्त द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समाप्त पायी जाने पर रेस्पोंडेन्ट की तल्बी नियमानुसार विधि अनुरूप करायी गयी। बाद तामील सूचना के रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री नरेश कुमार आत्रेय एडवोकेट उपस्थित आये।
6. वकील अपीलान्त द्वारा एक प्रार्थना-पत्र 026 आर 9 सीपीसी का दिनांक 17/01/2020 को पेश किया, जिसका जवाब रेस्पोंडेन्ट वकील द्वारा दिनांक 28/02/2020 को पेश होने पर उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुनवाची कर खारिज किया गया।
7. वकील रेस्पोंडेन्ट/अप्रीथी द्वारा प्रकरण में जारी स्थगन आदेश 04/10/2019 की क्रियान्विती समाप्त कराने बाबत दिनांक 28/02/2020 को निवेदन किया। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04/10/2019 को अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) के निर्णय 18/9/2019 की क्रियान्विती स्थगित किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त जारी स्थगन आदेश 04/10/2019 पर उभय पक्षों को सुना जाकर स्टे आदेश वैकैट किया गया यानि इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश 04/10/2019 की क्रियान्विती समाप्त की गयी।
8. प्रकरण में आगामी तारीख पेश दिनांक 24/7/2020 को निहित थी। वकील अपीलान्त द्वारा एक प्रार्थना-पत्र शीघ्र सुनवाची का पेश कर निवेदन किया गया कि प्रकरण उनयानी अर्जैन्ट नेधर एलआर एक्ट धारा 91 की कार्यवाही के विरुद्ध है। रेस्पोंडेन्ट के निवेदन पर स्थगन वैकैट किया जा सकता है। उक्त कार्यवाही में प्रार्थना/अपीलान्त के निर्माण को कमी भी ध्वस्त किया जा सकता है जबकि विवादास्पद भूमि से घट्टे जारी किये हुये हैं। इसलिए दिनांक 10/7/2020 को कोर्ट कोम्य शाहपुरा सुनवाची करने का श्रम करावे। उक्त प्रार्थना-पत्र पेश होने पर उनयपक्षों को सुना जावे शीघ्र सुनवाची प्रार्थना-पत्र 10/7/2020 स्वीकार किया गया तथा उनयपक्षों की फाईनल बहल सुनी गयी।
9. वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत बहल में अपील मीमां में वर्णित तथ्यों को दीहराते हुये कथन किया है कि पटवारी हल्का मनोहरपुर (शाहपुरा) की गलत रिपोर्ट के आधार पर आराजी खन 973/0.07 हे. वि. म. म. मु. रास्ता में से 0.0050 हे. पर प्राची/अपीलान्त का अतिक्रमण मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय उपतहसील शाहपुरा दिनांक 18/9/2019 को मौके से वेदखली के आदेश पारित कर दिये जबकि उक्त भूमि कभी भी म. मु. रास्ते की नहीं रही है। मौके पर उक्त भूमि के आलावा उक्त भूमि के पूर्व में 40 फिट चौड़ा रास्ता तथा लम्बाई भूमि के नाप के अनुसार रास्ता है। उक्त भूमि घान पचाघत में निहित राजकीय भूमि है। अपीलान्त/प्राची द्वारा मूल स्वामी से उक्त भू-खण्ड जरिये विक्रय-पत्र खरीद कर दिनांक 23/3/2011 को पंजियन कार्यालय आमर में पंजियन कराया गया। उक्त आवासीय भूमि खरीद करने के पश्चात् घान पचाघत मनोहरपुर से निर्माण बाध स्वीकृत प्राप्त कर उक्त भू-खण्ड पर मकान व दुकान का निर्माण कराया तथा घाप मनोहरपुर से नल विजली कनेक्शन प्राप्त करने हेतु NOC अनापति प्रमाण-पत्र जारी कराया जाकर नल बिजली का कनेक्शन प्राप्त किया आज भी उक्त भूमि पर काब्रिज रहकर व्यवसाय व्यापार करते आ रहे है। उक्त भूमि 60 वर्ष से अधिक समय से विक्रय की कब्जे की भूमि रही है। उक्त पट्टा शुद्ध भूमि घाप की आवासीय भूमि रही है, जिसकी किस्म भू-प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से म. मु. रास्ता दर्ज कर दिया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर बिना सीमाज्ञान के बिना साक्ष्य सबूत लिए अपीलान्त/प्राची को सुनवाची का अवसर प्रदान किये बिना तथा

6  
म. जिला न्यायालय  
शाहपुरा (जयपुर)

उनके अधिवक्ता को प्रतिपरीक्षा अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 18/6/2019 को बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये जो विधि सम्मत नहीं है। खसरा नम्बर 973 साबिक ख.नं. 628 से बना है जो गै.मु. आबादी का रहा है। सैटलमेन्ट द्वारा गलती से सम्ब. 2037 से 56 में गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया वर्तमान राजस्व नक्शे में आबादी के निशानात् बने हुए है। उक्त भूमि जागीर के समय से ही उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ में आ रही है। गिरदावर, सम्बत् 2011 में गै.मु. आबादी रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। नगरपालिका मनोहरपुर द्वारा दिनांक 07/3/84 स्टेटग्रान्ट एक्ट के तहत चन्द्र भूषण गुप्ता को 163 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा कुल भूषण गुप्ता से 61.11 वर्गगज भूमि जरिये विक्रय-पत्र से खरीद कर उप पंजियक कार्यालय आमेर में पंजिबद्ध कराया है, जो पक्का निर्माण व दुकान 50 वर्ष से अधिक समय से बने हैं, जिसमें नल बिजली कनेक्शन लगे हुए हैं। इसी खसरा नम्बर के नजदीक लगभग 100 वर्ष पुरानी धर्मशाला है जो यह इंगित करती है कि पूर्व में ही आबादी भूमि रही है वर्तमान में विकास अधिकारी शाहपुरा द्वारा कमेटी बनायी जाकर जून 2020 में प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि पर मकान बना होना बताया है तथा इस भूमि के ठीक आगे 40 फिट का रास्ता है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम है, जो पुराने समय से दिल्ली रोड के नाम से जाना जा. है। उक्त रोड आवागमन में कोई रुकावट एवं व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसका राजस्व रिकॉर्ड में हाल ख.नं. 993 अंकित है। विवादित ख.नं. 973 साबिक ख.नं. 628 मि. गै.मु. आबादी का भाग है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पुक्ता जानकारी एवं बिना सीमाज्ञान करे पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गयी गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय 18/9/2019 को प्रार्थी/अपीलान्ट के विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित किये हैं, जो विधि सम्मत एवं कानून सम्मत नहीं है। अतः अधिनस्थ न्यायालय व तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा उक्त पारित आदेश अपास्त फरमावे।

10. पैरोकार सरकार शाहपुरा द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का मनोहरपुर द्वारा ग्राम मनोहरपुर के आ.ख.नं. 973 किस्म गै.मु. रास्ता में सम्बत् 2076 में गैर सायलान नवीन कुमार सुशील कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति महाजन द्वारा 0.07 हैक्टर भूमि में से 0.0050 है0 भूमि पर नाजायज रूप से दुकान बनाकर कब्जा/अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर नायब तहसीलदार, मनोहरपुर (शाहपुरा) ने धारा 91 के तहत कार्यवाही कर मौके से बेदखल करने के तथा लगान का 50 गुना राशि 10/- रुपये अर्थदण्ड से दिनांक 18/9/2019 को आदेश पारित किये हैं। इसलिए एलआर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही विधि सम्मत है। अतः अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमावे।
11. पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात् का अध्ययन कर अवलोकन किया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो पाया कि पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मनोहरपुर के आ.ख.नं. 973 रकबा 0.07 में से 0.0050 है0 भूमि पर नाजायज रूप से मकान/दुकान बनाकर कब्जा/अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर उप तहसीलदार मनोहरपुर तहसील शाहपुरा द्वारा एलआर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत निर्णय पारित कर दिनांक 18/9/2019 को बेदखली एवं पैन्ल्टी राशि वसूली के आदेश पारित किये। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम मनोहरपुर का हाल आराजी ख.नं. 973 साबिक खसरा नम्बर 628 से बना है जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि रही है, जिसकी किस्म भू-प्रवन्ध विभाग ने गलत रूप से गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया। उक्त भूमि ख.नं. 973 गै.मु. रास्ता गलत दर्ज होने से पटवारी हल्का ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश कर दी। उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर बिना साक्ष्य सबूत लिए बिना सीमाज्ञान के पटवारी हल्का से बिना जिरह कराये तथा अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा दिनांक 18/9/2019 का निर्णय पारित कर बेदखली के आदेश पारित कर दिये जो न्याया के सिद्धान्तों के विपरीत एवं गैर कानून है। आ.ख.नं. 973 में स्थित आबादी भूमि के पट्टे नगरपालिका द्वारा दिनांक 07/3/84 को स्टेटग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत चन्द्र भूषण गुप्ता पुत्र प्रभातीलाल व आत्माराम पुत्र प्रभातीलाल गुप्ता के नाम जारी हुए हैं। दिनांक 25/9/2000 के अनुसार श्रीमती पांची देवी पत्नी स्व. प्रभातीलाल गुप्ता अपने वसियतनामा में अंकन कराया है कि मेरा पति प्रभातीलाल गुप्ता ने मृत्यु से पूर्व एक वसियत मेरे एवं मेरे सात पुत्रों के नाम सम्पादित करायी थी अब मैं सातों भाईयों के नक्शे अनुसार एक-एक दुकान व एक-एक मकान समान रूप से वसियत 25/9/2000 के संलग्न नक्शे अनुसार है। कुल भूषण पिता प्रभातीलाल गुप्ता के नाम एक मकान व एक दुकान बटवारे से हिस्से में आई है, जिसका स्वामित्व का प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत मनोहरपुर से दिनांक 18/3/2010 को प्राप्त किया है तथा ग्राम. द्वारा बिजली कनेक्शन हेतु दिनांक 10/12/2010 को NOC प्राप्त की है। दिनांक 10/12/2010 को ही नल कनेक्शन हेतु NOC प्राप्त की है। कुल भूषण द्वारा अपीलान्ट के हक में दिनांक 12/3/2011 को एक 61.11 वर्गगज का विक्रय-पत्र सम्पादित कराया है तो उप पंजियक कार्यालय आमेर में पंजिबद्ध कराया है। उक्त आवासीय भूमि अपीलान्ट द्वारा खरीद करने के पश्चात् से निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त भू-खण्ड पर मकान व दुकान का निर्माण कराया नल बिजली कनेक्शन की स्वीकृति प्राप्त कर कनेक्शन कराये है आज भी अपीलान्ट उक्त भूमि प. कादिज रहकर व्यवसाय व्यापार करते जा रहे हैं। उक्त भूमि 60 वर्षों से अधिक समय से निरन्तरता के

6  
त. जिला कलेक्टर  
कोटपुवली (नयपुरा)

- कब्जे में रही है। उक्त पट्टाशुदा भूमि ग्रा.पं. की आवासीय भूमि रही है। इसी आबादी ख.नं. 973 के नजदीक लगभग 100 वर्ष पुरानी धर्मशाला है, जो यह इंगित करती है कि पूर्व से ही आबादी भूमि रही है। वर्तमान में विकास अधिकारी द्वारा बनायी गयी कमिटी की रिपोर्ट जून 2020 के अनुसार उक्त भूमि पर मकान बना होना बताया है तथा इसके ठीक आगे 40 फिट का आम रास्ता जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम है, जो पुराने समय से दिल्ली रोड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उक्त रोड पर कोई रूकावट एवं व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है, जिसका वर्तमान ख.नं. 993 है। इस प्रकार पट्टवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 973 गै.मु. रास्ता में कब्जा बताया जाकर धारा 91 की रिपोर्ट की है। उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा दिनांक 18/9/2019 को अपीलान्त के विरुद्ध आदेश पारित किये है वह अपारस्त किया जावे। चूंकि पट्टवारी हल्का द्वारा ख.नं. 973 की नाजायज कब्जा बाबत रिपोर्ट पेश की है इसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18/9/2019 को अपीलान्त के विरुद्ध बेदखल के आदेश पारित किये है। उक्त ख.नं. 973 रकबा 628 गै.मु. आबादी रास्ता से बनना पाया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व प्रमाण-पत्र कुल भूषण पुत्र प्रभातीलाल गुप्ता को दिया गया है। कुल भूषण गुप्ता को अपने बुजुर्गों से हिस्से बटवारे में उक्त भूमि प्राप्त हुयी है। जिसका विक्रय-पत्र दिनांक 12/3/2011 को अपीलान्त के हक में सम्पादित होना पाया जाता है। मुताबिक विक्रय-पत्र से अपीलान्त ने निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर मकान व दुकान स्थापित कर रखा है, जिसके आगे/सामने 40 फिट का रोड बना हुआ है जो PWD के नाम है जिस पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होना वकील अपीलान्त द्वारा जाहिर किया है। अपीलान्त की ख.नं. 973 न बनी स्थित मकान व दुकान के पास ही लगभग 100 वर्ष पुरानी धर्मशाला बनी हुयी है जो यह इंगित करती है कि पूर्व से ही आबादी भूमि रही है। इसी ख.नं. 973 में अपीलान्त से पूर्व काबि-को स्टेटग्रान्टएक्ट 1961 के तहत नगरपालिका द्वारा पट्टा दिया जाना वकील अपीलान्त द्वारा जाहिर किया है। इससे यह सपष्ट होता है कि उक्त ख.नं. 973 गै.मु. रास्ता की नहीं रही होगी, उक्त खसरा नम्बर को आबादी भूमि मानते हुये ही उक्त खसरा नम्बर में नगरपालिका मण्डल द्वारा पट्टा जारी किया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा कुल भूषण क्रेता को भूमि का स्वामित्व मानते हुये नल बिजली तथा निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। पट्टवारी हल्का ने संवत् 2076 से पूर्व कभी भी धारा 91 के तहत अतिक्रमण बाबत कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है यानि कि कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार आराजी खसरा नम्बर 973 ग्राम मनोहरपुर साविक खसरा नम्बर 628 गै.मु. आबादी रास्ता से बना है। तत्कालीन समय में उक्त खसरा नम्बर 973 में से राजस्थान ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा जारी होना तथा ग्रा.पं. मनोहरपुर द्वारा विक्रेता के हक में स्वामित्व प्रमाण-पत्र नल एवं बिजली की NOC जारी होना पाया जाता है। उक्त ख.नं. 973 के समीप लगता हुआ ख.नं. 972 में करीब 100 वर्ष पुरानी धर्मशाला बनी हुयी जो गै.मु. आबादी रिकॉर्ड दर्ज है। इसके साथ ही मौके पर आस-पास सघन आबादी क्षेत्र है। इससे यह प्रमाणित होता है कि आ.ख.नं. 973 आबादी का भाग रहा है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है तथा अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) के द्वारा पारित आदेश 18/9/2019 को अपारस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।
12. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्त स्वीकार कि जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा पारित आदेश मु.नं. 03/2019 व उनजान सरकार बनाम नवीन कुमार निर्णय दिनांक 18/9/2019 को अपारस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। इस आशय की तहरीर के साथ प्रमाणित प्रति तहसीलदार शाहपुरा को भिजवाया जाव। पत्रावली फैसल शुमार हाकर नम्बर से कम हो।
13. निर्णय आज दिनांक 24.7.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय सुनाया गया।

(2)

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
कोटपुखी (जयपुर)